

विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन विभाग में कोई स्थानान्तरण नीति है ?	जी हाँ। कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैंतालिस-का-4-2024-1/3/96, दिनांक 11 जून, 2024 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2024-25 निर्गत की गयी है, जो परिवहन विभाग पर भी लागू है।
(ख) यदि हाँ, तो वाराणसी मण्डल में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के आधार पर नहीं किया गया है ?	वाराणसी मण्डल के किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध नहीं किया गया है।
(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।